

राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान)
(फोन नं. 0141-2225532, 2221792 फैक्स नं. 0141-2222452)

क्रमांक : एड्स/संस्था/विविध (58)/2014/

दिनांक :

आदेश

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक A11011/93/2007-NACO (A) दिनांक 01.09.14 के क्रम में राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, मुख्यालय एवं उसके अधीन विभिन्न इकाइयों में कार्यरत अनुबंधित समस्त महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को — दिनांक 01.08.14 से 12 सप्ताह का पूर्ण वैतनिक मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) देय होगा।

उक्त मातृत्व अवकाश अधिकतम दो जीवित बच्चों तक ही देय होगा।

(डॉ. एस. एस. चौहान)
परियोजना निदेशक

क्रमांक : एड्स/संस्था/विविध (58)/2014/ 5477

दिनांक : 11-9-14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक (वित्त), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
2. समस्त कार्यक्रम अधिकारी, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
3. समस्त अनुबंधित कार्मिक, राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक.....।
5. अधीक्षक,।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,.....।
7. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य)।
8. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,.....।
9. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,।
10. जिला कार्यक्रम अधिकारी—(DAPCU),.....।
11. प्रभारी अधिकारी, ब्लड बैंक/एसटीडी क्लिनिक/आईसीटीसी/.....।
12. प्रभारी अधिकारी, एआरटी सेन्टर.....।
13. कार्यालय प्रति।

परियोजना निदेशक